राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

युवक की हत्या का पर्दाफाश, पत्नी व उसका प्रेमी गिरफ्तार

जयपुर, 13 नवम्बर। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि दिनांक 12.11.2017 को पुलिस थाना मुरलीपुरा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि शंकर विहार विस्तार में शेखावाटी टेन्ट हाउस के पास खाली पडे प्लॉट में एक व्यक्ति की बोरे में बंधी लाश पडी है। इस इत्तला पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एफएसएल व डॉग स्क्वॉड की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे व जायजा लिया। प्लॉट में दीवार के सहारे रखे बांस बल्लियों के पीछे एक प्लास्टिक का कट्टा छुपाकर रखा हुआ था जिसमें से लाश के पैर बाहर दिखाई दे रहे थे। मामले में मुकदमा नम्बर 528/17 धारा 302, 201 भादस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्लॉट के मालिक श्री रामवतार निवासी D-306, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर हाल शेखावाटी टैन्ट हाउस, प्लॉट नंबर 3–4, शंकर विहार विस्तार, मुरलीपुरा जयपुर से मौके पर जानकारी प्राप्त हुई कि बोरे में बंद लाश उसके किरायेदार बाल गोविंद रस्तोगी निवासी गांव मिर्जापुर पोस्ट सोन बरसा, पुलिस थाना बरौली जिला गोपालगंज बिहार की है। उसके साथ रहने वाली महिला श्रीमति सरस्वती जो स्वयं को मृतक की पत्नी बताती थी वह दो दिन पहले कमरा खाली करके चली गयी थी।

पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौके पर से भौतिक साक्ष्य एकत्रित किये। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बताया कि जिस कमरे में मृतक बालगोविंद और सरस्वती किराये से रहते थे, उसकी दीवार व फर्श पर मानव रक्त के धब्बे लगे हैं। इससे प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता मिली।

इस वारदात के खुलासे के लिये अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री रतन सिंह व सहायक पुलिस आयुक्त, झोटवाड़ा श्री आश मौहम्मद के निर्देशन में व थानाधिकारी मुरलीपुरा श्री नवीन खण्डेलवाल के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री सवाई सिंह व संदीपकुमार, हैडकानि. डालचन्द, कानि. गोविंद, प्रकाश, होशियार, मालीराम, बलराम, अमित, अजेन्द्र सिंह व संजय शर्मा की टीम गठित की गयी।

टीम ने आसपास के क्षेत्र से मृतक व उसकी पत्नी श्रीमति सरस्वती देवी के बारे में जानकारी जुटाई व आसूचना संकलन व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरस्वती देवी का मृतक बालगोविंद के साथ रोज शराब पीकर आने की बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। सरस्वती देवी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि वह मूलतः शेर बखरौर बिशनपुरा बाजार, पुलिस थाना सिधवला, जिला गोपालगंज की रहने वाली है। उसकी शादी करीब 15 साल पहले रमेश राम निवासी **रुपनछाप, नयिकाटोला, पुलिस थाना बरौली जिला गोपालगंज बिहार** से हुई थी। करीब 4 साल पहले सरस्वती अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर बालगोविंद के साथ भाग गयी थी। बालगोविंद भी मूलतः गांव मिर्जापुर पोस्ट सोनबरसा, पुलिस थाना बरौली जिला गोपालगंज बिहार का रहने वाला था। दोनों कुछ समय रेवाडी और लुधियाना में रहने के बाद जयपुर आ गये और दादी का फाटक क्षेत्र में रहने लगे।

प्रकरण में सरस्वती देवी से आज पूछताछ की गयी। आरोपी सरस्वती ने पूछताछ में बताया कि अभी कुछ दिनों से बालगोविंद किसी दूसरी लडकी के चक्कर में था और उसे लेकर भागने वाला था। जब बालगोविंद उस लडकी से फोन पर बात करता था तो मैं सुन लेती थी। इस वजह से हमारा झगड़ा होने लग गया। **9 नवम्बर की रात** को मेरा उससे झगडा हो गया था। बालगोविंद दो लडको को साथ लेकर आया था और शराब पी थी। उसके बाद वो दोनों लडके चले गये और बालगोविंद सो गया। उसके बाद मैं रात को करीब 1 बजे भंवर नाम के आदमी को बुला लाई। वो बैनाड पुलिया के नीचे ही रहता है और उस समय वहीं पर था। उसको मैं करीब 6 महीने पहले से जानती हूँ। भंवर सिंह को मैनें कहा कि बालगोविंद मेरे साथ अन्याय कर रहा है। 5 दिन पहले ही मुझे झाडी काटने की कुल्हाडी सडक

पर मिल गयी थी। वह मैनें उठाकर अपने पास रख ली थी। मैनें भंवर सिंह को कहा कि इस कुल्हाडी से बालगोविंद को मार देते हैं। हम दोनों ने मिलकर बालगोविंद को मार दिया। बालगोविंद शराब पिया हुआ था। वो उठ ही नहीं पाया। फिर वहां पर कचरे का कट्टा रखा हुआ था। हमनें वो कट्टा खाली करके बालगोविंद की लाश को कट्टे में ठूस दिया। हम दोनों ने मिलकर वहीं प्लॉट में दीवार के सहारे रखे बल्लियों को एक तरफ करके लाश के कट्टे को कोने में रखकर वापिस बल्लियां रख दी।

सरस्वती से पूछताछ में यह तथ्य सामने आने पर भंवर सिंह उर्फ भंवरलाल रोहिला पुत्र मनीराम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी गांव बेरास, वाया व तहसील लक्ष्मणगढ, पुलिस थाना बलारा जिला सीकर हाल खानाबदोश बेनाड पुलिया के नीचे, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर को पूछताछ के लिये मुरलीपुरा थाने पर लेकर आये। पूछताछ में भंवर सिंह उर्फ भंवरलाल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया जिस पर उसे भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

इस वारदात के खुलासे में सराहनीय योगदान देने वाले कानिगण को 100 रूपये नगद ईनाम व प्रशंसा पत्र दिया जायेगा। आरोपीगण को कल न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जायेगा।